कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।

पत्रांक सं0 -2179/14–1, एटाः दिनांक 13-4-.2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
ए–5 सेक्टर–3 नोयडा,
उ0प्र0।

विषयः एटा–अलीगंज मार्ग (एम0डी0आर0–98) किमी. 25.118 की बॉयी पटरी पर ग्राम– राजापुर के खसरा सं0– 171 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.065 36 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार की पत्र सं0– 8बी/यूपी0/06/26/2016/एफ0सी0/1500 दि0– 15.03.2016 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0लखनऊ का पत्रांक– 2035/11सी–एटा दिनांक– 21.03.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र अधोहस्ताक्षरी एवं आपको पृष्ठाकिंत है। भारत सरकार द्वारा विषयक प्रस्ताव में निरीक्षणोपरान्त 14 त्रुटियॉ पायी गयी है। जिसमें बिन्दु सं0– 1,2,3,5,6,7,8,9,10 त्रुटियॉ का निराकरण आपके द्वारा किया जाना है।

अतः मूल प्रस्ताव की 4 प्रतियॉ इस आशय से वापिस की जाती है कि उपरोक्त बिन्दुओं की बिन्दुवार त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तत्काल क्षेत्रीय वन अधिकारी, एटा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सेम्मारन एम0)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांक /14–1 समदिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, एटा को इस आशय से प्रेषित कि विषयक प्रस्ताव में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की KML फाइल के आधार पर हरियाली का घनत्व अधिक पाया गया है, के सम्बन्ध में स्पष्ट करें कि अधिक हरियाली वाले घनत्व का चयन किस आधार पर किया गया है एवं याचक विभाग से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सेम्मारन एम0)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।